

(TO BE SUBSTITUTED BEARING SAME NUMBER AND DATE)

क्रमांक 62/53/2021-6जी0एस01

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
2. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष।
3. हरियाणा के सभी मण्डलीय आयुक्त।
4. हरियाणा सरकार के सभी जिला उपायुक्त।
5. हरियाणा सरकार के सभी उप-मण्डलीय अधिकारी (नागरिक)।

दिनांक: 04.10.2021

विषय: जनता की शिकायतों का संज्ञान लेने हेतु।


श्रीमान/श्रीमति,

मुझे निर्देश हुआ है कि उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाते हुए सूचित करूं कि सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न मन्त्रियों द्वारा जनता की शिकायतें सुनने व उनके निवारण के लिए जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें काफी संख्या में जनता अपनी शिकायतें लेकर आती है। शिकायतों को उनके द्वारा संबन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाता है।

2. सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि कुछ अधिकारी उनके विभागों से संबंधित शिकायतों को गम्भीरता से नहीं लेते और कई बार लोग एक ही शिकायत बार-बार लेकर मन्त्रियों के सम्मुख आते हैं। कई बार अधिकारियों द्वारा शिकायत को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को अग्रेषित कर मात्र खानापूर्ति की जाती है तथा मन्त्रियों द्वारा रिपोर्ट मांगने पर उन शिकायतों का निपटान होना, दिखाया जाता है, जबकि निचले स्तर पर अभी उनमें कार्यवाही अपेक्षित होती है।

3. सरकार द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लिया गया है और तदनुसार सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किये जाते हैं कि विभिन्न मन्त्रियों द्वारा भेजी गई शिकायतों का नीजि तौर पर संज्ञान लें। शिकायतों की विस्तृत जांच करें तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट माननीय मन्त्रियों को भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त शिकायतों का निपटान होने तक उनका रिकार्ड भी रखा जाए।

4. इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा यह आदेश सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।


अधीक्षक, सामान्य सेवाएं-1,
कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।